

**ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND  
SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS  
THEREON**

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT  
**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO -271**  
ANSWERED ON - 26/03/2025

**WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER MARGINALIZED GROUP**

271. SMT RAJANI ASHOKRAO PATIL

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

- (a) the budget allocated to each State for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other marginalized groups;
- (b) the manner in which the Ministry is addressing the concerns of marginalized groups regarding discrimination and lack of opportunities; and
- (c) the details of financial assistance provided to States for the implementation of programmes for the empowerment of marginalized groups, such as education, skill development, and entrepreneurship?

**ANSWER**

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DR. VIRENDRA KUMAR)

- (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

\*\*\*\*\*

**Statement referred in reply to part (a) to (c) of the Rajya Sabha Starred Question No. 271 for answer on 26.03.2025 regarding “Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other marginalized group”**

(a) to (c) The mandate of the Ministry of Social Justice and Empowerment is to take care of the welfare of the poorest households of the socially, educationally and economically marginalized sections of the society including Scheduled Castes (SC), Senior Citizens, Sanitation Workers, Transgender Persons, Beggars, De-notified and Nomadic Tribes (DNTs), and Persons with Disabilities.

To address the concerns of marginalized groups regarding discrimination, the Department of Social Justice and Empowerment has enacted two Acts: the Protection of Civil Rights {PCR} Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) {PoA} Act, 1989. For the effective implementation of these Acts, Department of Social Justice & Empowerment is running a Centrally Sponsored Scheme, under which the Central Assistance is provided to the States/UTs. Further, the Ministry of Social Justice and Empowerment is working towards providing equal opportunities and level playing field for the social, economic, and educational empowerment of the marginalized groups of society through its various schemes, programmes, and the four corporations of the Ministry namely National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, National Backward Classes Finance and Development Corporation, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, and the National Handicapped Finance and Development Corporation

Similarly, the Ministry of Tribal Affairs (MoTA) is implementing various schemes/programmes for the welfare and development of the Scheduled Tribes (ST) in the country. The MoTA through its two agencies namely Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED) and National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation (NSTFDC) have contributed significantly in promoting economic activities including entrepreneurship among the tribal communities.

The State-wise details of the funds released for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other disadvantaged groups during the financial year 2014-15 to 2023-24 and for financial year 2024-25 (as on 20.03.2025) are at Annexure-I.

The details of the financial assistance provided to the States for the schemes implemented by the Department of Social Justice and Empowerment for the education, skill development, and entrepreneurship of marginalized groups are at Annexure-II.

**Annexure referred in reply to part (a) and (c) of Rajya Sabha Starred Question No. 271 for answer on 26.03.2025 regarding “Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other marginalized group”**

State-wise details of the funds released for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other disadvantaged groups during the financial year 2014-15 to 2023-24 and for financial year 2024-25 (as on 20.03.2025)

(Rs. In Crore)

S. No	State/Union Territory	Financial Assistance for FY 2014-15 to 2023-24				Financial Assistance for FY 2024-25 (up to 20.03.2025)			
		Scheduled Castes	Other marginalized group under the Department of Social Justice and Empowerment	Persons with Disabilities	Scheduled Tribe	Scheduled Castes	Other marginalized groups under the Department of Social Justice and Empowerment	Persons with Disabilities	Scheduled Tribe
1	Andaman & Nicobar	77.60	25.01	1.24	10.96	0.46	0.620	0.15	0.21
2	Andhra Pradesh	3,956.17	1125.74	316.32	2571.13	720.15	104.014	38.17	490.11
3	Arunachal Pradesh	7.73	2.59	2.02	1507.25	1.46	2.299	0.10	234
4	Assam	246.02	395.34	84.13	1225.47	33.15	85.519	11.04	188.73
5	Bihar	1,220.34	698.24	122.32	174.01	96.05	112.990	11.80	11.63
6	Chandigarh	43.88	33.46	3.83	0.00	5.92	6.552	2.68	0
7	Chhattisgarh	851.90	244.84	34.45	3252.33	71.59	36.700	3.32	1004.31
8	Dadra N.Haweli,D&Diu	3.51	11.13	0.94	57.09	0.08	0.979	0.53	8.11
9	Delhi	190.02	97.29	63.04	0.83	48.07	11.977	12.72	0.17
10	Goa	24.00	45.30	4.09	87.24	1.28	3.112	0.38	11.38
11	Gujarat	2,119.58	1249.35	136.65	4953.82	494.28	62.629	34.34	586.79
12	Haryana	1,001.75	202.17	86.79	0.00	160.92	18.773	7.60	0
13	Himachal Pradesh	550.85	161.11	18.92	365.59	54.27	6.991	2.96	48.85
14	Jammu & Kashmir	185.67	146.13	39.84	521.02	16.58	11.668	3.58	34.169
15	Jharkhand	471.21	435.51	47.48	2759.03	79.88	35.451	8.96	862.86
16	Karnataka	4,024.01	1257.04	158.81	2036.85	610.45	119.804	14.63	301.55
17	Kerala	1,179.79	2968.03	127.72	402.00	268.84	291.296	18.69	53.31
18	Ladakh	1.56	0.30	0.29	96.78	0.08	0.429	0.13	40.67
19	Lakshdweep	1.39	0.32	0.17	0.00	0.00	0.000	0.01	0
20	Madhya Pradesh	3,751.97	1034.88	268.89	6144.47	727.00	64.537	29.02	767.07
21	Maharashtra	6,415.10	1418.03	290.05	3658.73	1059.71	36.471	29.52	416.22
22	Manipur	125.60	246.77	74.03	868.32	11.63	32.644	8.14	85.18
23	Meghalaya	2.39	4.21	10.88	1205.23	0.19	1.214	1.93	513.57
24	Mizoram	1.63	20.74	3.71	1401.63	0.84	2.865	0.52	275.84
25	Nagaland	47.60	22.46	3.80	1500.66	6.07	5.682	0.72	73.83
26	Odisha	2,512.13	604.68	192.21	4871.19	292.68	57.786	26.77	1042.77
27	Puducherry	123.14	94.54	7.92	0.49	24.61	14.880	1.77	0.03
28	Punjab	3,459.44	327.33	114.65	0.00	556.79	32.397	22.67	0
29	Rajasthan	3,365.01	876.95	143.50	4387.90	254.27	76.677	19.56	572.2
30	Sikkim	89.23	290.62	1.81	288.56	6.89	7.932	0.05	67.29
31	Tamil Nadu	8,893.10	2217.19	138.53	702.07	1548.42	346.122	9.84	95.76
32	Telangana	1,627.65	379.69	220.01	3345.21	30.30	26.079	15.07	507.02
33	Tripura	660.55	240.99	19.09	1189.75	60.59	8.438	1.06	243.1
34	Uttar Pradesh	11,176.02	2914.73	724.71	239.54	650.30	258.398	113.16	49.46
35	Uttarakhand	359.40	127.00	38.10	315.04	38.88	7.401	5.22	45.75
36	West Bengal	2,848.21	893.24	183.46	1136.73	160.24	27.129	18.63	91.76
	Others *	4.54	179.87	5137.31	0.00	0.00	18.719	593.28	0
	<b>Total</b>	<b>61,619.69</b>	<b>20992.82</b>	<b>8821.71</b>	<b>51276.92</b>	<b>8092.92</b>	<b>1937.174</b>	<b>1068.72</b>	<b>8723.699</b>

\* This financial assistance made centrally by the departments.

**Annexure-II**

**Annexure referred in reply to part (a) and (c) of Rajya Sabha Starred Question No. 271 for answer on 26.03.2025 regarding “Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other marginalized group”**

Details of the financial assistance given to the States for the schemes implemented by the Department of Social Justice and Empowerment for the education, skill development, and entrepreneurship of marginalized groups:

*(Rs. In Crore)*

Sr. No.	States / UTs	Education (Scholarship and other schemes)		Skill Development, and Entrepreneurship under Pradhan Mantri Dakshata Aur Kushalata Sampanna Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana
		Financial Year 2014-15 to 2023-24	Financial Year 2024-25 (upto 20.03.2025)	Financial Year 2020-21 to 2023-24
1	Andaman & Nicobar	36.90	0.46	0.00
2	Andhra Pradesh	3780.94	651.86	4.58
3	Arunachal Pradesh	2.71	0.16	0.00
4	Assam	462.22	96.06	6.27
5	Bihar	1503.82	143.22	7.12
6	Chandigarh	57.26	4.17	0.13
7	Chhattisgarh	819.67	70.84	2.40
8	Dadra N.Haweli,D&Diu	9.90	0.00	0.00
9	Delhi	181.97	47.09	1.87
10	Goa	31.94	1.21	0.14
11	Gujarat	2567.72	504.88	4.31
12	Haryana	835.39	126.98	4.96
13	Himachal Pradesh	562.25	49.93	2.65
14	Jammu & Kashmir	177.62	18.46	4.22
15	Jharkhand	789.05	92.82	2.68
16	Karnataka	3861.74	593.56	3.36
17	Kerala	1125.67	233.24	3.36
18	Ladakh	1.56	0.00	0.06
19	Lakshdweep	0.00	0.00	0.00
20	Madhya Pradesh	3652.70	655.24	21.73
21	Maharashtra	6930.17	1004.06	9.64
22	Manipur	240.26	26.90	1.93
23	Meghalaya	2.31	0.19	0.29
24	Mizoram	1.63	0.00	0.00
25	Nagaland	47.46	0.00	0.00
26	Odisha	2614.91	280.73	4.46
27	Puducherry	27.47	4.37	0.04
28	Punjab	3208.20	483.68	9.96
29	Rajasthan	3331.48	281.28	8.84
30	Sikkim	316.24	6.16	0.49
31	Tamil Nadu	8948.58	1561.70	4.69
32	Telangana	1569.28	24.53	3.32
33	Tripura	463.04	65.38	1.70
34	Uttar Pradesh	11848.15	700.36	29.95
35	Uttarakhand	400.46	38.17	2.53
36	West Bengal	3119.68	165.92	5.02
37	Others	116.27	12.19	0
	<b>Total</b>	<b>63646.61</b>	<b>7945.82</b>	<b>152.70</b>

\*\*\*\*\*

= 4 -

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या: \*271  
उत्तर देने की तारीख: 26.03.2025

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों का कल्याण

271 श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों के कल्याण के लिए प्रत्येक राज्य को कितना बजट आवंटित किया गया है;
- (ख) मंत्रालय वंचित समूहों के प्रति होने वाले भेदभाव और उनके लिए अवसरों की कमी से संबंधित मामलों का किस प्रकार समाधान कर रहा है; और
- (ग) वंचित समूहों के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री  
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों का कल्याण” के संबंध में 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए नियत राज्य सभा तारंकित प्रश्न सं. 271 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अधिदेश अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, सफाई कर्मचारियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों, विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) तथा दिव्यांगजनों सहित समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्गों के सबसे गरीब परिवारों के कल्याण का ध्यान रखना है।

भेदभाव के संबंध में लाभवंचित समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने दो अधिनियम बनाए हैं: सिविल अधिकार संरक्षण {पीसीआर} अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989। इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और मंत्रालय के चार निगमों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, और नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से समाज के लाभवंचित समूहों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए समान और बराबरी का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है।

इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 (20.03.2025 तक) के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित समूहों के कल्याण हेतु जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्नक-I पर दिया गया है।

लाभवंचित समूहों की शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

“अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों का कल्याण” से संबंधित दिनांक 26.03.2025 को उत्तर हेतु नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 271 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 (20.03.2025 तक) के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य लाभवंचित समूहों के कल्याण हेतु जारी धनराशि का राज्यवार विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक के दौरान वित्तीय सहायता				वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय सहायता (20.03.2025 तक)			
		अनुसूचित जाति	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत अन्य लाभवंचित समूह	दिव्यांगजन	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत अन्य लाभवंचित समूह	दिव्यांगजन	अनुसूचित जनजाति
1	अंडमान और निकोबार	77.60	25.01	1.24	10.96	0.46	0.620	0.15	0.21
2	आंध्र प्रदेश	3,956.17	1125.74	316.32	2571.13	720.15	104.014	38.17	490.11
3	अरुणाचल प्रदेश	7.73	2.59	2.02	1507.25	1.46	2.299	0.10	234
4	असम	246.02	395.34	84.13	1225.47	33.15	85.519	11.04	188.73
5	बिहार	1,220.34	698.24	122.32	174.01	96.05	112.990	11.80	11.63
6	चंडीगढ़	43.88	33.46	3.83	0.00	5.92	6.552	2.68	0
7	छत्तीसगढ़	851.90	244.84	34.45	3252.33	71.59	36.700	3.32	1004.31
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3.51	11.13	0.94	57.09	0.08	0.979	0.53	8.11
9	दिल्ली	190.02	97.29	63.04	0.83	48.07	11.977	12.72	0.17
10	गोवा	24.00	45.30	4.09	87.24	1.28	3.112	0.38	11.38
11	गुजरात	2,119.58	1249.35	136.65	4953.82	494.28	62.629	34.34	586.79
12	हरियाणा	1,001.75	202.17	86.79	0.00	160.92	18.773	7.60	0
13	हिमाचल प्रदेश	550.85	161.11	18.92	365.59	54.27	6.991	2.96	48.85
14	जम्मू एवं कश्मीर	185.67	146.13	39.84	521.02	16.58	11.668	3.58	34.169

15	झारखंड	471.21	435.51	47.48	2759.03	79.88	35.451	8.96	862.86
16	कर्नाटक	4,024.01	1257.04	158.81	2036.85	610.45	119.804	14.63	301.55
17	केरल	1,179.79	2968.03	127.72	402.00	268.84	291.296	18.69	53.31
18	लद्दाख	1.56	0.30	0.29	96.78	0.08	0.429	0.13	40.67
19	लसद्वीप	1.39	0.32	0.17	0.00	0.00	0.000	0.01	0
20	मध्य प्रदेश	3,751.97	1034.88	268.89	6144.47	727.00	64.537	29.02	767.07
21	महाराष्ट्र	6,415.10	1418.03	290.05	3658.73	1059.71	36.471	29.52	416.22
22	मणिपुर	125.60	246.77	74.03	868.32	11.63	32.644	8.14	85.18
23	मेघालय	2.39	4.21	10.88	1205.23	0.19	1.214	1.93	513.57
24	मिजोरम	1.63	20.74	3.71	1401.63	0.84	2.865	0.52	275.84
25	नागालैंड	47.60	22.46	3.80	1500.66	6.07	5.682	0.72	73.83
26	ओडिशा	2,512.13	604.68	192.21	4871.19	292.68	57.786	26.77	1042.77
27	पुडुचेरी	123.14	94.54	7.92	0.49	24.61	14.880	1.77	0.03
28	पंजाब	3,459.44	327.33	114.65	0.00	556.79	32.397	22.67	0
29	राजस्थान	3,365.01	876.95	143.50	4387.90	254.27	76.677	19.56	572.2
30	सिक्किम	89.23	290.62	1.81	288.56	6.89	7.932	0.05	67.29
31	तमिलनाडु	8,893.10	2217.19	138.53	702.07	1548.42	346.122	9.84	95.76
32	तेलंगाना	1,627.65	379.69	220.01	3345.21	30.30	26.079	15.07	507.02
33	त्रिपुरा	660.55	240.99	19.09	1189.75	60.59	8.438	1.06	243.1
34	उत्तर प्रदेश	11,176.02	2914.73	724.71	239.54	650.30	258.398	113.16	49.46
35	उत्तराखंड	359.40	127.00	38.10	315.04	38.88	7.401	5.22	45.75
36	पश्चिम बंगाल	2,848.21	893.24	183.46	1136.73	160.24	27.129	18.63	91.76
	अन्य *	4.54	179.87	5137.31	0.00	0.00	18.719	593.28	0
	कुल	61,619.69	20992.82	8821.71	51276.92	8092.92	1937.174	1068.72	8723.699

\* यह वित्तीय सहायता विभागों द्वारा केन्द्रीय स्तर पर दी जाती है।

संलग्नक-II

“अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों का कल्याण” से संबंधित दिनांक 26.03.2025 को उत्तर हेतु नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 271 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

लाभवंचित समूहों की शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र	शिक्षा (छात्रवृत्ति और अन्य योजनाएं)		प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना के तहत कौशल विकास और उद्यमिता
		वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक	वित्त वर्ष 2024-25 (20.03.2025 तक)	वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक
1	अंडमान और निकोबार	36.90	0.46	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3780.94	651.86	4.58
3	अरुणाचल प्रदेश	2.71	0.16	0.00
4	असम	462.22	96.06	6.27
5	बिहार	1503.82	143.22	7.12
6	चंडीगढ़	57.26	4.17	0.13
7	छत्तीसगढ़	819.67	70.84	2.40
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9.90	0.00	0.00
9	दिल्ली	181.97	47.09	1.87
10	गोवा	31.94	1.21	0.14
11	गुजरात	2567.72	504.88	4.31
12	हरियाणा	835.39	126.98	4.96
13	हिमाचल प्रदेश	562.25	49.93	2.65
14	जम्मू एवं कश्मीर	177.62	18.46	4.22
15	झारखंड	789.05	92.82	2.68
16	कर्नाटक	3861.74	593.56	3.36
17	केरल	1125.67	233.24	3.36

18	लद्दाख	1.56	0.00	0.06
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	3652.70	655.24	21.73
21	महाराष्ट्र	6930.17	1004.06	9.64
22	मणिपुर	240.26	26.90	1.93
23	मेघालय	2.31	0.19	0.29
24	मिजोरम	1.63	0.00	0.00
25	नागालैंड	47.46	0.00	0.00
26	ओडिशा	2614.91	280.73	4.46
27	पुदुचेरी	27.47	4.37	0.04
28	पंजाब	3208.20	483.68	9.96
29	राजस्थान	3331.48	281.28	8.84
30	सिक्किम	316.24	6.16	0.49
31	तमिलनाडु	8948.58	1561.70	4.69
32	तेलंगाना	1569.28	24.53	3.32
33	त्रिपुरा	463.04	65.38	1.70
34	उत्तर प्रदेश	11848.15	700.36	29.95
35	उत्तराखंड	400.46	38.17	2.53
36	पश्चिम बंगाल	3119.68	165.92	5.02
37	अन्य	116.27	12.19	0
	<b>कुल</b>	<b>63646.61</b>	<b>7945.82</b>	<b>152.70</b>

\*\*\*\*\*

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

**श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल :** सर, एससी, एसटी और ओबीसी भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये समुदाय आज भी भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक पिछड़ेपन और सीमित अवसरों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि सरकार इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? ताकि 'जितनी आबादी, उतना हक' के सिद्धांत के तहत उनको उचित अधिकार और प्रतिनिधित्व मिल सके। उसी के साथ, क्या सरकार marginalized sections में समग्र विकास के लिए जातीय जनगणना करने के लिए प्रतिबद्ध है?

**श्री रामदास अठावले :** महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वंचित घटकों को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। महोदय, आज जो जाति व्यवस्था हमें दिखाई देती है, उसमें पहले कई वर्षों तक सत्ता में रहे लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे जातिवाद को समाप्त करें। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और आज समाज में बहुत जागृति आई है। PCR Act के अंतर्गत उन्हें अपना अधिकार मांगने का हक प्राप्त है और Prevention of Atrocities Act, 1989 के माध्यम से न्याय पाने का अधिकार भी मिला है।

आज समाज में जागरूकता बढ़ी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के कारण दलित, आदिवासी और वंचित घटक आगे बढ़ रहे हैं। उनके जागरूक होने से वे सशक्त हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PCR Act, 1955 और the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत, वर्ष 2004 से 2014 तक 625.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिससे 2.53 लाख लोगों को लाभ मिला। वहीं, वर्ष 2014 से 2024 तक 4001.77 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे 27.25 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।

हम इस वर्ग के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, और जो लोग अब भी गरीबी में हैं, उन्हें भी ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है।

*आप हमेशा बोलते हैं हाय-हाय,  
इसीलिए नरेन्द्र मोदी जी दे रहे हैं हम सबको न्याय।*

हम सभी न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारी साथी रजनी अशोक राव पाटिल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। हमारी सरकार सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 2; Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

**श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल :** मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था, उसका जवाब अठावले साहब ने भाषण में दिया। वर्ष 2023 में एक संसदीय रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी/एसटी आरक्षण के तहत कई पद हर साल खाली रह जाते हैं, विशेष रूप से उच्च स्तरीय पद खाली रह जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार केवल निचले स्तर की गुप 'सी' जैसी नौकरियों के लिए चुने जाते हैं, उनका कोटा सफाई कर्मियों के पदों पर ही कंप्लीट होता है। सरकार उनके लिए क्या कदम उठा रही है? ताकि एससी/एसटी समुदाय केवल निचले स्तर की नौकरियों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि प्रशासनिक और नीति-निर्माण के पदों पर उनको समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। इसके अलावा आरक्षित पदों को भरने में हो रही देरी को कम करने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं?

**श्री रामदास अठावले:** सभापति महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15 परसेंट आरक्षण है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए seven and a half per cent परसेंट आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27 परसेंट आरक्षण है और Economically Weaker Section के लिए 10 परसेंट आरक्षण है। हमारी मोदी सरकार ने उन्हें 10 परसेंट आरक्षण दे दिया है। उसके पहले आरक्षण को भरने का जो सिस्टम होता था, सिस्टम के अंदर पूरा आरक्षण भरा जाता है और जिस तरह रजनी पाटिल जी ने बताया है, तो मैं

बताना चाहता हूँ कि आरक्षण भरने के लिए हमारी कोशिश जारी है। जब भी recruitment होती है, तब आरक्षण भरा जाता है। उसमें एक भी आंकड़ा इधर-उधर नहीं होता है। यदि कहीं ऐसा होता है, तो आप मुझे उसके बारे में जानकारी दे सकती हैं। हम उस पर जरूर ध्यान देंगे, लेकिन जो आरक्षण होता है, उसको पूरा भरने की जिम्मेदारी हमारी है। उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है।

**श्री सभापति :** सप्लीमेंटरी नंबर 3, श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक।

**श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:** महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जैसे तो हमारी केन्द्र सरकार पूरे देश में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और उनके उत्थान के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। सर, मेरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पीएम अजय योजना के द्वारा किस प्रकार से अनुसूचित जाति बहुल गांव का विकास हो रहा है तथा मध्य प्रदेश में कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित और स्वरोजगार प्राप्त लाभार्थियों की संख्या अनुदान सहायता घटक के विवरण के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. वीरेंद्र कुमार):** सभापति महोदय, माननीय सदस्या जी के द्वारा मध्य प्रदेश के संबंध में प्रश्न उठाया गया है। देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए बहुत

सारी योजनाएं बनाई गई हैं। जब हम योजनाओं की बात करते हैं, तो हमें इन बातों पर विचार करते समय, हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि 2004 से 2014 के बीच में अनुसूचित जाति के लिए, लाभ से वंचित समूहों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो बजट था, उसमें 16,508.9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वह 2014-2024 के अंदर बढ़कर 61,619.59 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह से सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जो वंचित समूह हैं। हमारी बहन ने वंचित समूहों के बारे में बात की थी, जो बजट 2004 से 2014 के बीच में 6,388.90 करोड़ रुपये था, वह 2014-24 के बीच में बढ़कर 20,992.82 करोड़ रुपये हो गया। हम दिव्यांगजनों की बात करें, तो दिव्यांगजनों के लिए 2004-14 के बीच जो आबंटन था, वह 1,047.20 करोड़ रुपये का था। दिव्यांगजनों के प्रति देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के मन में जो संवेदनशीलता है, वह सर्वविदित है। पहली बार उन्होंने इनको दिव्यांगता से संबोधित किया, इससे दिव्यांगजनों के मन में एक ऊर्जा उत्साह का वातावरण आया और यह जो 1,048.20 करोड़ रुपये का बजट था, यह बढ़कर 8,821.71 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के समुदाय के बंधुओं के लिए 13,449.28 करोड़ रुपये का बजट था, वह 2014-24 के बीच में बढ़कर इन दस वर्षों में 51,276.92 करोड़ रुपये हो गया। ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि केन्द्र सरकार वंचित समूहों के लिए, समाज के सबसे अंतिम छोर के अंतिम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, किस तरह से उनके विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जहां तक मेरी बहन ने मध्य प्रदेश में पीएम अजय योजना के संदर्भ में, वहां पर अनुसूचित जाति बहुल गांव में किस तरह से काम हो रहा है, उसके बारे में प्रश्न पूछा है।

महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं।

महोदय, 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना', जिसको 'पीएम अजय योजना' के नाम से जाना जाता है, उसमें ऐसे गाँव, जो 500 या 500 से ज्यादा की आबादी के गाँव हैं और जिनमें 40 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति के बंधुओं की है, ऐसे गाँवों को 'प्रधानमंत्री अजय योजना' के अंतर्गत 'आदर्श ग्राम योजना' में शामिल किया गया है।

महोदय, इसमें तीन घटक हैं – आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास। इन तीन घटकों के अंदर देश भर में बहुत सारे कार्य हुए हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें, तो आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1628.64 करोड़ रुपये जारी किए गए और 11,022 गाँवों को आदर्श गाँव घोषित किया गया। महोदय, अगर अनुदान सहायता घटक की बात की जाए, तो 2 लाख, 1,006 लाभार्थियों को 1244.849 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। इसी तरह से छात्रावास घटक के अंतर्गत 69, 212 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 866 छात्रावासों के निर्माण के लिए 936.27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। महोदय, ये कार्य

इस बात को बताते हैं कि इस क्षेत्र में, अंतिम गाँव के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के समग्र विकास के लिए भारत सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के संबंध में बताना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की कुल आबादी 7,26,26,809 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,13,42,320 है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.60 प्रतिशत है। महोदय, जो केंद्र प्रायोजित योजना है – 'पीएम अजय योजना', इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, मध्य प्रदेश में तीनों घटकों के

लिए, यानी आदर्श ग्राम के लिए, अनुदान सहायता के लिए और छात्रावास के लिए 1,690 चयनित गाँवों के लिए 210.74 करोड़ रुपये जारी किए गए। महोदय, 1,690 चयनित गाँवों में से 1,223 गाँवों को मध्य प्रदेश में आदर्श गाँव घोषित किया गया। इन गाँवों में कुल 5, 292 कार्य किए गए, जिससे कुल 11.5 लाख अनुसूचित जाति की आबादी लाभान्वित हुई है।

महोदय, मध्य प्रदेश में आदर्श गाँव घटक के अंतर्गत 10 क्षेत्रों में काम किए गए, जिनमें आंतरिक सड़कों का निर्माण, आवश्यक प्रबंधन, सीवेज का निर्माण, पीने योग्य पानी, पेयजल सुविधाएं, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालय और विद्युतीकरण शामिल हैं। महोदय, अनुदान घटक सहायता के अंतर्गत मुख्य रूप से लघु सिंचाई, बागवानी, बकरी पालन, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 523.68 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिससे लगभग 1.5 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। महोदय, छात्रावास घटक के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 86 छात्रावास स्वीकृत किए गए, जिससे 6,150 छात्र लाभान्वित हुए हैं और इसके लिए 128.3 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने पहले पार्ट में समग्र देश के बारे में जानकारी रखी और दूसरे पार्ट में मध्य प्रदेश की जो जानकारी अपेक्षित की गई थी, उसके बारे में उपलब्ध कराई।

महोदय, 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' में 51 जिलों में 267 ब्लॉक्स में 11,377 गाँवों में, पूरे देश की 93,00,231.125 की आबादी के लिए 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' के अंतर्गत काम किए गए हैं। महोदय, ये 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' के आंकड़े हैं। महोदय, यदि मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के 1,72,218 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। उनमें से अनुसूचित जाति के 32, 353 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। महोदय, इसी तरह से एसटी जाति की आबादी के लिए 83,822 अनुसूचित जाति के बंधुओं को प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से 18,396 बंधुओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए।

MR. CHAIRMAN: The supplementary was very comprehensive. So, was the reply!

SHRI DIGVIJAYA SINGH: They are very comprehensive about Madhya Pradesh.

MR. CHAIRMAN: You know the hon. Minister. He is having seventh running term in Lok Sabha. He has seen all the regimes of this century. Now, supplementary no. 4, आदरणीय जया जी।

**श्रीमती जया अमिताभ बच्चन :** मंत्री जी, मैं भी मध्य प्रदेश से आती हूँ। मैंने मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों को देखा है और महिलाओं के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, आदिवासियों के लिए आपने इतना सारा पैसा दिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो घोषणाएं की हैं, उनमें से आपने कितना यूटिलाइज किया और कितना वापस किया? Have you taken any census of the number of these women?

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री जी।

**डा. वीरेंद्र कुमार :** मध्य प्रदेश देश का ही एक हिस्सा है। जब यहां किसी भी विभाग का मंत्री उत्तर देने के लिए खड़ा होता है, तो वह एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि वह समग्र देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो बात यहां पर रखी जाती है...(व्यवधान)...

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री जी, एक सेकंड। माननीय जया जी।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, I have an objection. उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर जवाब दिया। आपने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा और आपने मध्य प्रदेश के बारे में जवाब दिया। आप मध्य प्रदेश से आते हैं। ...(व्यवधान)... मैंने भी उसी संदर्भ में आपसे पूछा है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, hon. Members...

**श्रीमती जया अमिताभ बच्चन :** मैंने आपको पूरे देश के बारे में नहीं पूछा। You were specifically answering about Madhya Pradesh. How can you suddenly change and say, “I am talking about the entire country.” Have you taken a census in the entire country, or, at least in Madhya Pradesh since you are from Madhya Pradesh?

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री जी।

**डा. वीरेंद्र कुमार :** मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि उत्तर समग्र रूप में ही दिया जाता है, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में स्पेसिफिक बात की, तो मैं समझता हूँ कि मैंने पूर्व में जो उत्तर दिया है, उसका जो दूसरा भाग है, वह मध्य प्रदेश के ऊपर ही केंद्रित है। मध्य प्रदेश में विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा पीएम-अजय योजना के अंतर्गत जो काम किए गए, चाहे वे आदर्श ग्राम के हों, चाहे वे अनुदान सहायता के हों, चाहे वे छात्रावास योजना के हों, उनकी सारी जानकारी मैंने यहां पर रख दी है। ...(व्यवधान)...मान्यवर, अगर आप कहेंगे, तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: How much money has been utilized and how much has been returned?

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री, आपका जवाब बहुत विस्तृत था, वह इसलिए विस्तृत था कि माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक ने वे चीजें पूछी थीं, लेकिन माननीय सदस्या जया जी

जानना चाहती हैं कि आपने जो विवरण दिया है, वह एकचुअल ग्राउंड रियलिटी का दिया है या प्रोजेक्शन का दिया है। यह सिंपल है।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Utilisation, Sir.

**श्री सभापति :** यूटिलाइजेशन की ही बात है।

**डा. वीरेंद्र कुमार :** मैंने जो उत्तर दिया है, वह पूरी तरह से ऑथेंटिक है और पूरी जानकारी के साथ दिया है। अगर इसमें कोई विसंगति होती है, तो मैं उसकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Supplementary no. 5, Shri Upendra Kushwaha.

**श्री उपेन्द्र कुशवाहा:** माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी दी है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के संदर्भ में इनकी क्या नीति है, क्या योजना है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश का एक क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वंचित समाज, ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है और वह क्षेत्र है - उच्चतर न्याय पालिका का। उच्चतर न्याय पालिका में ओबीसी, ईबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कभी-कभी अपवाद के लिए एकाध जज भले ही बन जाते हैं। इतना बड़ा समुदाय है और इतनी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, अगर वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो इस भेदभाव के रहते हुए, इन वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव को समग्र रूप में कभी दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी इस दिशा में क्या सोच रहे हैं और इनका विभाग इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रहा है?

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री जी।

**श्री रामदास अठावले :** चेयरमैन सर, जो भेदभाव है, वह भेदभाव खत्म करने की कोशिश जारी है। माननीय कुशवाहा साहब ने पूछा है कि न्यायपालिका में रिजर्वेशन है या नहीं, तो न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं है। इसके बावजूद हमारी लॉ मिनिस्ट्री है और यह लॉ मिनिस्ट्री इसके लिए कोशिश करती है। वैसे इस समुदाय से बहुत ज्यादा जजेज तो नहीं हैं, लेकिन कुछ जजेज सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। इसीलिए हम सब लोग इसके लिए कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न विधि और न्याय डिपार्टमेंट का है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि सरकार हमारी है, हम इसके लिए लॉ मिनिस्टर को बताएँगे और

एससी/एसटी/ओबीसी के लोग, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रिक्रूट हो सकते हैं, उनके लिए हम प्रयत्न करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 272.